न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 43/2022

अनवान :

1. विनोद कुमार पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।
2. सुरेश कुमार पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. मुखराम पुत्र श्री कानाराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।
2. किरण पुत्री मुखराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।
3. भागवती पुत्री मुखराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।
4. कविता पुत्री मुखराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सतवीर पूनियां : वादी
वकील श्री जगदीश महला : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 12.3.2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा बोझला के खाता सं 110/91 के खसरा स 1/1 की 2.6460है0, खसरा सं 20 की 2.2890है0, खसरा संख्या 205 की 1.8020 है0 कुल 6.7370है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता कानाराम की खातेदारी हुआ करती थी। कानाराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 मुखराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुस्तगीसत है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एव प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Scanned with CamScanner

वहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्य को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीकी दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पडता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे वादीगण ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही मौजा भाडी के खाता संख्या 190/101 के खसरा स0 421 की 0.2020है0, खसरा सं0 424 की 0.1270है0, खसरा नं. 427 की 6.4260है0, खसरा स. 438 की 1.7080है0, खसरा सं. 470 की 7.4630है0 खसरा सं. 473 की 6.6410है कुल 22.5670है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 ईश्वरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चुंकि प्रतिवादीया सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि मे वादी का 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/5 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता संख्या 190/101 के खसरा सं0 421 की 0.2020है0, खसरा स0 424 की 0.1270है0, खसरा नं. 427 की 6.4260है0, खसरा सं. 438 की 1.7080है0, खसरा सं 470 की 7.4630है0 खसरा सं 473 की 6.6410है कुल 22.5670है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी स 1 ईश्वरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ईश्वरसिह अकेले के बजाय वादी सुनिल को 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी स0 1 ईश्वरसिंह को 1/5 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.3.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 43/2022

अनवान :

1. विनोद कुमार पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।
2. सुरेश कुमार पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।

:– वादीगण

व ना म

1. मुखराम पुत्र श्री कानाराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।
2. किरण पुत्री मुखराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।
3. भागवती पुत्री मुखराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।
4. कविता पुत्री मुखराम जाति मेघवाल निवासी बोझला त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सतवीर पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जगदीश महला की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एव वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बोझला के खाता सं 110/91 के खसरा स 1/1 की 2.6460है0, खसरा सं 20 की 2.2890है0, खसरा संख्या 205 की 1.8020है0 कुल 6.7370है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है उक्त वर्णित वाद भूमि में से प्रतिवादी सं0 मुखराम अकेले के बजाय वादीगण स 1 विनोद कुमार, वादीगण सं0 2 सुरेश कुमार, व प्रतिवादी सं0 1 मुखराम को बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.3.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रैक)भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner